GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
*****

NO.96/Sec(Cr)/42/39-A NEW DELHI, DATED: -05-1996

To

All Chief Security Commissioners,
Railway Protection Force,
Zonal Railways.

The Chief Security Commissioner,
Railway Protection Special Force,
Railway Board.

All DSC, All RPSF Comd

STANDING ORDER NO. 4.

Sub: Misbehaviour by Force personnel.

.....

Instances have come to my notice wherein not only the copassengers even the members of the Forces like BSF, CRPF, RPF etc. has indulged in misbehaviour with the lady passengers thereby not only bringing bad name to themselves but also to the entire Organisation to which they belong. There have also been instances wherein members of the Force even while on duty in the train had remained passive spectators while such misbehaviour was being meted out to the lady passengers. Such an indifferent attitude is certainly not acceptable specially from members of the Force. It is the bounden duty of all the citizens and specially that of members of the Force to react to such situations within the ambit of the law so as to provide safety, security and dignity to the travelling passengers specially the lady passengers.

In this connection the provisions of Section 100 of IPC (Right of Private Defence) which are very clear on the subject which, are reiterated and should be brought home to all the officers and men of the Force.

"100. When the right of private defence of the body extends to causing death - The right of private defence of the body extends, under the restrictions mentioned in the last preceding section to the voluntary causing of death or of any other harm to the assailant, if the offence which occasions the excercise of the right be of any of the descriptions hereinafter enumerated, namely -

Contd....2/-

First - Such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault.

Secondly - Such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault.

Thirdly - An assault with the intention of committing rape.

Fourthly - An assault with the intention of gratifying unnatural lust.

Fifthly - An assault with the intention of kidnapping or abducting.

Sixthly - An assault with the intention of wrongfully confining a person, under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release."

I would also like you and other officers to advise staff under their command to be extra-cautions and curteous while dealing with public in general on the Railways and in particular with the lady passengers. Instructions in this regard should be read out to the staff in the Roll Call for the next 7 days so that the message is brought home for strict implementation of the instructions in its true letter and spirit.

Please acknowledge receipt.

(JOGINDER SINGH)
Director General/RPF

Copy to:- Divisional Security Commissioners/R.P.F., all Zonal Railways for information and necessary action.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 96-सिक्यू.(क्रा.)/42/39-ए नई दिल्ली, दिनांक .5.96

सभी मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे. सु. ब.,
क्षेत्रीय रेलें.

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे. सु. वि. ब.,
रेलवे बोर्ड.

स्थायी आदेश सं. 4

विषय :- सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार.

मेरे नोटिस में ऐसी घटनाएं आयी हैं जिनमें न केवल सहयात्रियों ने बल्कि सी. सु. ब., के. सु. वि. ब., रे. सु. ब. आदि जैसे सुरक्षा बल के सदस्यों ने भी महिला यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जिससे न केवल उनका अपना नाम बदनाम हुआ है बल्कि उनके अपने संपूर्ण संगठन का नाम भी बदनाम हुआ है. ऐसी घटनाएं भी देखने में आयी हैं जहाँ महिला यात्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होते समय गाड़ी में ड्यूटी पर तैनात होने के बावजूद सुरक्षा बल के सदस्य मूक दर्शक बने रहे है. इस प्रकार का उदासीन रवैया विशेषकर सुरक्षा बल के सदस्यों से कतई स्वीकार्य नहीं है. सभी नागरिकों का और विशेषकर सुरक्षा बल के सदस्यों का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे कानून के दायरे में रहते हुए ऐसी परिस्थितियों से निपटें ताकि यात्रियों की विशेषकर महिला यात्रियों की संरक्षा, सुरक्षा एवं गरिमा बनायी रखी जा सके.

इस संबंध मे आई पी सी की धारा 100 (प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार) के उपबंध, जो इस विषय में एकदम सुस्पष्ट हैं, यहां दोहराए जा रहे हैं तथा इन्हें सभी अधिकारियों एवं बल - कर्मियों को समझाया जाना चाहिए.

"100. जब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु का कारण बन जाए. यदि इसमें आगे वर्णित किसी भी अपराध के कारण शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करना पड़े तो उस स्थिति में यह अधिकार, पिछली पूर्ववर्ती धारा में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, हमलावर को स्वेच्छया मृत्यु या कोई अन्य हानि पहुँचाते समय व्यापक हो जाता हैं, अर्थात्

पहला -- ऐसा हमला जो कि इस आशंका को युक्तिसंगत ठहराता हो कि ऐसे हमले का नतीजा अन्यथा मृत्यु होता.

...2...

दूसरा - ऐसा हमला जो कि इस आशंका को युक्तिसंगत ठहराता हो कि ऐसे हमले का परिणाम अन्यथा गहरी चोट होता.

तीसरा - बलात्कार करने की मंशा से किया गया हमला.

चौथा - प्रकृति विरुद्ध कामतृष्णा की तृप्ति की मंशा से किया गया हमला.

पांचवा - अपहरण अथवा भगा ले जाने की मंशा से किया गया हमला.

छठा - किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में अन्यायपूर्वक कैद करके रखने की मंशा से किया गया हमला, जिससे उस व्यक्ति की यह आशंका युक्तिसंगत ठहरती हो कि वह अपने छुटकारे के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता नहीं ले सकेगा."

मैं आपसे तथा अन्य अधिकारियों से यह भी चाहूंगा कि आप अपनी कमान के कर्मचारियों को सूचित करें कि वे रेलों पर सामान्य जनता तथा विशेषकर महिला यात्रियों के साथ बर्ताव करते समय अत्यधिक सावधानी तथा शिष्टता बरतें. इससे संबंधित अनुदेश अगले 7 दिनों तक हाजिरी के समय कर्मचारियों को पढ़ कर सुनाए जाएं ताकि इन अनुदेशों का अक्षरशः और सही भावनों में कड़ाई से लागू किए जाने के लिए इन्हें भली प्रकार से समझा जा सके.

कृपया पावती दें.

(जोगिन्दर सिंह)
महानिदेशक/ रे. सु. ब.

प्रतिलिपि:- मण्डल सुरक्षा आयुक्त/रे. सु. ब./क्षेत्रीय रेलें
सूचना एवं आवश्यक-कार्यवाही हेतु।